

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :-राज्य योजना के अन्तर्गत ठेला-थार्ती-चिरबिटियामोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(लम्बाई-6.75 कि०मी०)

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में आवादी वाली असंयोजित बसावट को किसी भी बाहरमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य सम्मिलित किया गया है। उक्त क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2503/III(2)06-37 (प्रा.आ.) /06 दिनांक 20.09.2006 को मोटर मार्ग की 12.00 कि०मी० हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, सौड, उमठियाणा, सिल्ली भेलकुडी, डिन्डगांव, पंया गाँव तक की कुल आवादी 1521 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ पायी है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है परन्तु यातायात की सुविधा न होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का अपना मूल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार साधन उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से जहाँ युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे वहीं सरकार की विकास योजनाएँ भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कास्तकारों की नाप भूमि की अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि 3.692 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.665 है०, नाप भूमि 0.472 है०, प्रभावित हो रही है जो कि न्यूनतम एवं अप्रिहार्य है वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु वन संरक्षक अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सरवेक्षण के उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया है। जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न रंगीन गुगल मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है। उक्त को ध्यान में रखते हुये समरेखण नं०-2 को निरस्त कर समरेखण नं०-1 को अनुमोदित किया गया है इन दोनों समरेखणों का भू-वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। एवं उनके द्वारा समरेखण नं०-1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भू-गर्भीया दृष्टि से उपर्युक्त पाया गया है। भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट की आख्या की छाया प्रति संलग्न अतः लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार आने वाले आरक्षित वन भूमि 3.692 है०, सिविल सोयम भूमि 0.665 है०, वन भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली


सहायक अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली


अधिशारी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली